

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>सुनील पारीक बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर)</p> <p>सू.अ. अपील संख्या 36 / 2024</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>24 / 04 / 2024</p>	<p>अपीलार्थी सुनील पारीक निवासी सेक्टर एच, मकान नं. 31, जीडब्ल्यूडी रोड, शास्त्रीनगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2024 में वर्तमान में सम्पूर्ण जोधपुर जिले के किन किन भारतीय प्रशासनिक एवं राज्य सेवा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के मुख्य सरकारी कार्यालयों के भीतर क्लोज्ड सर्किट कैमरे आज दिनांक तक लगे हुए हैं एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 1682 दिनांक 09.04.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संधारण कार्यालय में नहीं किया जाता है, जिस कारण वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। जिसकी सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक 1648 दिनांक 19.03.2024 द्वारा प्रेषित की गई।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न दिये जाने की स्थिति में स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	